प्रेषक

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पुरोला।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड,इन्दिरा नगर
देहरादून।

पत्रांक 1244 सिंखपु/एल–1(कुनारा–पासा) दिनॉकः सितम्बर 29 /2016

विषय– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुनारा–पासा नहर के निर्माण हेतु 0.69 है0 वन भूमि का गैर बानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ– शासन का पंत्राक 887/X–4–16/1/(278)/2016 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 08 सितम्बर 2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो आपको सम्बोधित है तथा जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचनाऐं निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1. प्रस्ताव की हार्ड कापी की छाया प्रति संलग्न है।
2. प्रस्ताव सम्बन्धि सम्सत ऑन लाइन प्रपत्रो/प्रमाण–पत्रो एवं एफ0आर0ए0 की छाया प्रतियां सलग्न है।
3. चिन्हित परियोजना से अच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ हुये अनुबन्ध पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
4. कुनारा–पासा नहर वन्य जीव विहार सीमा के अन्तर्गत नहीं पडती है। प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
5. प्रयोगता विभाग से परियोजना के लाभान्वित होने वाले आबाढी की सूचना तथा प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय वस्तुस्थिति विवरण की छाया प्रति संलग्न है।
6. परियोजना से पेयजल योजना प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
7. जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
8. परियोजना के अन्तर्गत मलवा निस्तारण सम्बन्धी विवरण पत्र संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
29/9/16

पत्रांक / सिंखपु/एल–1(कुनारा–पासा)/तदिनॉक

प्रतिलिपि अनु सचिव वन अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में संलग्नको की छाया प्रतियों सहित उनके पंत्राक 887/X–4–16/1/(278)/2016 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 08 सितम्बर 2016 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(आर0के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – कुनारा /पासा
तहसील – मोरी ,जिला –उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड मे जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुनारा पासा नहर परियोजना के निर्माण हेतु 0.69 है0 आवेदित वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एंव वन मत्रायल द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुनारा द्वारा दिनांक 12.08.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदि वासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुनारा/पासा के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत....
वि0 ख0....

ह0
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कुनारा
विकास खण्ड मोरी(उ०

यदि किसी आदिवासी अथवा वन वासि की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय ।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

anned by CamScanner